बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) के अंतर्गत दावा/आपत्ति हेतु प्रक्रिया

1. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) का कार्य पूरे राज्य में प्रगति पर है।
2. इसी सर्वेक्षण के आकड़ों के आधार पर सामाजिक आर्थिक स्थिति के मद्देनजर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की सूची बनेगी।
3. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना का मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थी तक पहुँचाना है।
4. सर्वेक्षित परिवारों की सूची का प्रारूप पंचायत, प्रखंड, अन्य सार्वजनिक स्थल एवं वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षित परिवार को उस परिवार से संबंधित प्रारुप की हार्ड प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।
5. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के प्रारूप प्रकाशन के 10 (दस) दिनों के अंदर सर्वेक्षित सूची के मसौदा वाचन हेतु ग्राम सभा आहुत की जाएगी।
6. कोई भी व्यक्ति प्रारूप प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के अंदर नामित / प्राधिकृत पदाधिकारी के पास विहित प्रपत्र 'ए' 'बी' एवं 'सी' में आवश्यकतानुसार दावा / आपत्ति दायर कर सकता है। विदित हो कि एक व्यक्ति द्वारा थोक (Bulk)/ समूह में दावा / आपत्ति नहीं दिया जा सकता है।

6.1. प्रपत्र 'ए' में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के तहत सूची में जोड़े गये नाम पर आपत्ति होने पर आपत्ति दर्ज किया जायेगा।

6.2. प्रपत्र 'बी' में सर्वेक्षित सूची में अंकित विशिष्टियों में किसी प्रकार के सुधार हेतु दावा / आपत्ति दर्ज किया जाएगा।

6.3. प्रपत्र 'सी' में वैसे व्यक्ति, जो सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के तहत हो रहे सर्वेक्षण के समय अपने सामान्य निवास स्थान पर किसी कारणवश उपस्थित नहीं थे, द्वारा दावा / आपत्ति दर्ज किया जाएगा।

7. प्राप्त दावा / आपत्ति को जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी द्वारा प्रारूप प्रकाशन की तिथि से 40 (चालीस) दिनों के अंदर सुनवाई कर निस्तारण किया जाएगा।
8. प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति निर्धारित समय सीमा के अंदर पदाधिकारी द्वारा नामित जिला स्तरीय अपीलीय पदाधिकारी के यहाँ अपील दायर कर सकता है। जिला स्तरीय अपीलीय पदाधिकारी अपीलीय आवेदन पर निर्धारित समय सीमा के अंदर सुनवाई कर आवेदन का निस्तारण करेंगे।
9. सर्वसाधारण से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के प्रकाशित प्रारूप के मसौदे की जाँच हेतु आहुत ग्राम सभा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। व्यक्तिगत तौर पर मसौदे की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों पर विहित प्रपत्र में विहित प्रक्रियानुसार दावा / आपत्ति दर्ज करें। किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि गलत सूचना दी गई है तो उसके बारे में आपत्ति करें, वरना उस गलत सूचना के आधार पर त्रुटिपूर्ण सूची बनने का खतरा है। स्वच्छ सूची के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान समर्पित करें। आप का यह सार्थक प्रयास समाज के सुपात्र लाभार्थी को लाभ पहुँचाने एवं अपात्र लाभार्थी को अवैध लाभ प्राप्त करने से वंचित करने में मील का पत्थर साबित होगा।
10. यह सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु जनहित में जारी की जा रही है।

- इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी के कार्यालय में कार्यरत सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना कोषांग से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के संबंध में और अधिक जानकारी SECC की वेबसाईट

http://rural.nic.in/sites/BPL-census-2011.asp

से प्राप्त किया जा सकता है। ग्रामीण विकास विभाग की

Toll-free helpline No.-18003452244

से भी सूचना ली जा सकती है।

IPRD-10578 S(RWD)13-14

निवेदक: ग्रामीण विकास विभाग, पटना, बिहार